कार्यालय (कलेक्टर), सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण
जिला–खण्डवा

आज़ादी का अमृत महोत्सव

जिला पंचायत परिसर, सिविल लाईन, खण्डवा ईमेल–pswkhd@mp.nic.in

क्रमांक / डी.डी.आर.सी. / 2023–24 / 619 खण्डवा दिनांक 29/08/2023

विज्ञापन

उप सचिव, म0प्र0शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र क्रमांक / 2475 / 1306216 / 23 / 26–2, भोपाल दिनांक 23.08.2023 एवं भारत सरकार और अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग नई दिल्ली के निर्देशानुसार सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण, जिला खण्डवा के अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तियों के समग्र एवं स्थायी पुनर्वास तथा सेवाओं के प्रदाय हेतु जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र, जिला खण्डवा हेतु आवश्यक पदों की संविदा पर एक वर्ष हेतु नियुक्ति के लिये निम्नलिखित पदों की पूर्ति हेतु पात्र आवेदकों से सीलबंद लिफाफे के माध्यम से कार्यालय में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। शेष अतिरिक्त जानकारी, आवश्यक आर्हता / योग्यता हेतु कार्यालय उपसंचालक, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण, जिला–खण्डवा तथा कार्यालय कलेक्टर जिला–खण्डवा के नोटिस बोर्ड पर भी अवलोकन किया जा सकता है।

जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र, जिला खण्डवा हेतु स्वीकृत पदों का विवरण, आवश्यक अर्हता / योग्यता एवं निर्धारित मानदेय निम्नानुसार है:–

क्रं.	पदनाम	पदों की संख्या	पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं	मानदेय प्रतिमाह
1.	**क्लीनिकल मनोचिकित्सक / पुनर्वास मनोचिकित्सक**	01	**क्लीनिकल मनोचिकित्सक** क–क्लीनिकल मनोचिकित्सका में एम0फिल। ख–क्लीनिकल मनोचिकित्सका में व्यावसायिक डिप्लोमा। **पुनर्वास मनोचिकित्सक** क–पुनर्वास मनोचिकित्सका में एम0फिल। ख–क्लीनिकल मनोचिकित्सका में पोस्ट ग्रेज्युएट डिप्लोमा (पीजीडीआरपी)	20,500/-
2.	**वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट / ऑक्युपेशनल थेरेपिस्ट**	01	**फिजियोथेरेपिस्ट** 01 अनिवार्य योग्यता बीपीटी **ऑक्युपेशनल थेरेपिस्ट** 01 अनिवार्य योग्यता बीओटी औचित्य– पीटी और ओटी दोनों पूरी तरह से अलग–अलग विषय हैं और दोनों की दिव्यांगता पुनर्वास में बहुत महत्वपूर्ण और अलग–अलग भूमिकाएं हैं।	20,500/-
3.	**सीनियर प्रोस्थेटिस्ट / ऑर्थोटिस्ट (ओएच श्रेणी)**	01	आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स (बीपीओ) में स्नातक।	20,500/-
4.	**सीनियर स्पीच थेरेपिस्ट ऑडियोलाजिस्ट**	01	ऑडियोलाजी और स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी (बीएएसएलपी) में स्नातक या बीएससी स्पीच एंड हियरिंग।	20,500/-
5.	**प्रोस्थेटिस्ट / आर्थोटिस्ट तकनीशियन**	01	पी एंड ओ में डिप्लोमा या 3 साल के अनुभव के साथ पी एंड ओ में प्रमाण पत्र।	16,000/-
6.	**श्रवण सहायक / जूनियर स्पीच थेरापिस्ट / स्पीच एंड हियरिंग तकनीशियन / ईयर मोल्ड तकनीशियन**	01	श्रवण यंत्रों की जानकारी / मरम्मत / कर्ण मोल्ड बनाने के साथ वाक् एवं श्रवण में डिप्लोमा **स्पीच एंड हियरिंग तकनीशियन** पात्रता हियरिंग लैंग्वेज और स्पीच में डिप्लोमा (डीएचएलएस) पात्रता हियरिंग एंड रिपेयर और ईयर मोल्ड प्रोद्यौगिकी में डिप्लोमा (डीएचएआरईएमटी)	16,000/-

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय (कलेक्टर), सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण
जिला–खण्डवा
जिला पंचायत परिसर, सिविल लाईन, खण्डवा ईमेल–pswkhd@mp.nic.in

7.	गतिशीलता प्रशिक्षक (मोबिलिटी इन्स्ट्रक्टर)	01	दसवीं+गतिशीलता में सर्टीफिकेट/डिप्लोमा पात्रता अधिमानत गतिशीलता विज्ञान में स्नातक (बी.एम.एससी.) या दृष्टि बाधिता में डी.एड. विशेष शिक्षा/बी.एड. विशेष शिक्षा	14,500/-
8.	बहुउद्देश्यीय पुनर्वास कार्यकर्ता (मल्टीपरपज रिहेब्लीटेशन वर्कर)	01	पात्रता समुदाय आधारित पुनर्वास (पीजीडीसीबीआर) में पोस्ट ग्रेज्युएट/समुदाय आधारित पुनर्वास (डीसीबीआर)/समुदाय आधारित समावेशी विकास (सीबीआईडी)/एमआरडब्यू में डिप्लोमा।	14,500/-
9.	लेखाकार सह लिपिक सह भण्डारी (एकाउटेंट कम क्लर्क कम स्टोर कीपर)	01	दो वर्षों के अनुभव सहित (बी0काम0/एसएएस)	14,500/-
10.	सहायक सह चपरासी सह संदेशवाहक (अटेंएडेंट कम प्यून कम मेसेन्जर)	01	8वीं कक्षा उत्तीर्ण	9,500/-
11.	व्यवसायिक परामर्शदाता सह कम्प्यूटर सहायक (वोकेशनल काउंसलर कम कम्प्यूटर असिस्टेंट)	01	व्यावसायिक पुनर्वास में डिप्लोमा (डीवीआर)/बाल मार्गदर्शन और परामर्श में एडवांस्ड डिप्लोमा (एडीसीजीसी)/पुनर्वास विज्ञान में स्नातक (बीआरएससी)	14,500/-
12.	ट्रांस–डिसिप्लिनरी स्पेशल एडुकेटर (विशेष शिक्षक) (एमआर)	01	दो पदों के लिए पात्रता (1) श्रवण बाधिता में डीईएसई/बीईडीएसई (2)वीआई/आईडी/सीपी/एएसडी/एमडी/डीबी/एसएलडी में डीईडीएसई/बीईडीएसई	16,000/-
13.	प्रशासनिक अधिकारी (एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर)	01	स्नातकोत्तर एवं दिव्यांगता के क्षेत्र में 5 वर्ष का अनुभव।	18,000/-
14.	चौकीदार	01	8वीं पास। कलेक्टर दर पर (अकुशल श्रमिक)	8,000/-

नियुक्ति संबंधी शर्ते :–

1. विज्ञप्ति के बिन्दु क्रमांक 01 से 08 तक एवं 12 के समस्त पदों के लिए भारतीय पुनर्वास परिसर R.C.I.(आर.सी.आई) का जीवित पंजीयन होना अति आवश्यक है, प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।
2. Sr. Physiotherapist/Occupational Therapist पद के लिए भारतीय पैरामेडिकल एसोसिएशन का जीवित पंजीयन होना अति आवश्यक है, प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।
3. यह नियुक्ति पूर्णतः संविदा पर 01 वर्ष के लिये है, किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह के नोटिस एवं एक माह का वेतन/मानदेय पर किसी भी समय संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। 01 वर्ष पश्चात् सेवाएं संतोषप्रद पाये जाने पर समिति द्वारा पुनः सेवा में वृद्धि की जा सकती है।
4. उपरोक्त सभी पद एकांकी होने से आरक्षण प्रावधान से मुक्त होंगे।
5. सभी पद निश्चित मानदेय पर स्वीकृत हुए हैं। उक्त पद पर चयनित उम्मीदवार का भविष्य में नियमितिकरण किए जाने हेतु कोई भी दावा/वाद विवाद स्वीकार एवं मान्य योग्य नहीं होगा।
6. आवेदक की आयु दिनांक 01 सितम्बर 2023 को 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होगी एवं शासन के नियमानुसार आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को शासन द्वारा प्रदत्त आयु सीमा में छुट दी जावेंगी ।
7. आवेदक की आयु दिनांक 01 सितम्बर 2023 को 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए।
8. म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल म.प्र. के परिपत्र क्रं./सी 3–8/2016/1/3, भोपाल दिनांक 04 जुलाई 2019 के नियमानुसार निम्न संवर्गों के अंतर्गत आने वाले अभ्यार्थी की अधिकतम आयु निम्नानुसार होगी।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय (कलेक्टर), सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण
जिला–खण्डवा

जिला पंचायत परिसर, सिविल लाईन, खण्डवा ईमेल–pswkhd@mp.nic.in

आज़ादी का अमृत महोत्सव

I–सामान्य वर्ग के लिये– 40 वर्ष

II–अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय/निगम मंडल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/निःशक्तजन/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिये– 45 वर्ष

9. संविदा पर नियुक्त विषय विशेषज्ञ/कर्मचारी को शासन द्वारा निर्धारित मानदेय दिया जावेगा।
10. उम्मीदवार को संलग्न निर्धारित आवेदन पत्र में पूर्णता कर, अपनी पूर्ण जानकारी एवं समस्त दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा, जो पठनीय हो । अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा। जिसका जिम्मेदार आवेदक स्वयं होगा । कम योग्यता वाले आवेदन पत्र एवं शर्तें पूर्ण न होने की स्थिति में आवेदन स्वयं ही निरस्त माना जावेगा। विशेष योग्यता वाले पदों में मान्यता प्राप्त संस्था के प्रमाण पत्र/पत्रोपाधि अनिवार्य होगी।
11. शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हताएं संबंधी प्रमाण–पत्रों में किसी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर सेवाएं समाप्त कर दी जावेगी।
12. चयनित उम्मीदवार को मुख्यालय पर ही रहना होगा,चयनित उम्मीदवार को समिति द्वारा निष्पादित अनुबंध संविदा नियमों का पालन करना होगा तथा वारिष्ठ अधिकारियों के आदेश का पालन करना होगा।
13. संविदा पर नियुक्त विषय विशेषज्ञ/कर्मचारी पर म0प्र0 सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1965 प्रभावशील होगा।
14. संविदा पर नियुक्त विशेषज्ञ/कर्मचारी को कदाचार या किसी आपराधिक क्रियाकलाप में संलग्न पाये जाने पर नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी संविदा नियुक्ति समाप्त कर सकेंगें।
15. नियुक्त विषय विशेषज्ञ/कर्मचारी का चरित्र सत्यापन शासकीय सेवकों को लागू नियमों या अनुदेशों के आधार पर किया जावेगा। चरित्र के संबंध में किसी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संविदा नियुक्ति बिना कोई कारण बताए रद्द कर दी जावेगी।
16. संविदा नियुक्ति के पात्र पाए जाने पर चरित्र सत्यापन रिर्पोट प्रस्तुत करना होगा। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में किसी प्रकार का प्रतिकुल विवरण प्राप्त होता है, तो ऐसी स्थिति में नियुक्ति स्वतःनिरस्त मानी जावेगी ।
17. आवेदक की संविदा नियुक्ति के पश्चात् कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संबंधित जिला चिकित्सालय के जिला मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर, स्वास्थ्य उपयुक्तता प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा ।
18. नियुक्ति की प्रकिया– चयन समिति द्वारा मेरिट एवं साक्षात्कार के आधार पर की जावेगी ।
19. प्राप्त आवेदनों की जांच के पश्चात् पात्र उम्मीदवारों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जावेंगी, जो आवेदक/आवेदिका पात्र नही होगा, उन्हें पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
20. नियुक्ति के पश्चात् पद रिक्त होने पर प्रावीण्यता सूची के आधार पर प्रतिक्षा सूची वाले अभ्यर्थी को चयनित किया जायेगा। प्रतिक्षा सूची में एक पद के विरूद्ध 03 उम्मीदवारों की प्रतिक्षा सूची बनाई जावेगी।
21. मेरिट/साक्षात्कार की सूचना पत्र द्वारा जारी की जावेगी।
22. साक्षात्कार के समय आवेदक को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है, दस्तावेजों में त्रुटि होने पर आवेदन निरस्त माना जावेगा।
23. चयन सूची की वैद्यता सामान्यतः 01 वर्ष के लिए वैध रहेगी ।
24. उक्त कार्यवाही में किसी भी प्रकार की कोई समस्या/विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में जिला कलेक्टर का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य रहेगा ।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय (कलेक्टर), सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण
जिला–खण्डवा

जिला पंचायत परिसर, सिविल लाईन, खण्डवा ईमेल–pswkhd@mp.nic.in

25. आवेदन पत्र कार्यालय उपसंचालक, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण, जिला खण्डवा में जमा करने की अंतिम तिथि– 19/09/2023 समय सांय 5:00 बजे तक निर्धारित है । निर्धारित दिनांक एवं समय के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

विशेष नोट :- 1- आवेदन पत्र कार्यालयीन दिवसों में ही प्राप्त किये जायेंगे।
2- आवेदन पत्र एनआईसी की वेबसाईट- www.khandwa.nic.in पर भी उपलब्ध है।
3- शेष अतिरिक्त जानकारी हेतु इस कार्यालय में संपर्क करें।

(अनूप कुमार सिंह)
कलेक्टर
जिला खण्डवा (म.प्र.)

समय सारणी

क्रं.	विवरण	दिनांक
1	प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञप्ति का प्रकाशन	04/09/2023
2	चयन समिति का गठन, चयन प्रकिया का निर्धारण	11/09/2023
3	अर्हताधारी आवेदकों से सील बंद लिफाफों में आवेदन पत्र प्राप्त करना	19/09/2023
4	प्राप्त आवेदनों का परीक्षण एवं स्कूटनी करना	25/09/2023
5	साक्षात्कार का आयोजन	03/10/2023
6	चयन समिति की अनुशंसा पर नियुक्ति आदेश जारी करना	09/10/2023

Scanned with OKEN Scanner